इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर(म.प्र.)

श्वेत मक्खन भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज किराये पर लेने हेतु ई–निविदा प्रपत्र

निविदा खुलने की दिनांक–22.01.2019, दोपहर 03 बजे

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर(म.प्र.)

E-mail : isdsm_gmpo@rediffmail.com

ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1000 (रूपये एक हजार मात्र)

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.
An ISO 14001:2004, 22000: 2005 & 9001 : 2008 Certified Organisation
GSTIN : 23AAAJI0016N1ZK
चाँदा तलावली मांगलिया, इन्दौर – 453771 (म.प्र.) **Chanda Talawali, Manglia, INDORE – 453771(M.P.)**
दूरभाष/**Phone :0731-2802554,2802535,2811553,2811162,2811132**
फैक्स/**Fax : 0731-2811559** ई–मेल /**E-mail : isdsm_gmpo@rediffmail.com**
Toll Free No. 18002332535

श्वेत मक्खन भण्डारण हेतु ई–निविदा सूचना

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर के द्वारा लगभग 800 से 1000 मेट्रिक टन श्वेत मक्खन –18^{0}C पर भण्डारण हेतु डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिकों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई–प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट (www.mptenders.gov.in) से क्रय की जा सकती है। ई–निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण मध्यप्रदेष दुग्ध महासंघ की वेबसाइट पर (www.mpcdf.gov.in) देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 22.01.2019 समय दोपहर 01:00 बजे तक है।

क्रमांक	विवरण	अनुमानित मात्रा	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र क्रय राशि
01	श्वेत मक्खन (White Butter) भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु	800 से 1000 मेट्रिक टन	रू. 50,000 (रू. पचास हजार मात्र)	रू. 1000 (रू. एक हजार मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.

An ISO 14001:2004, 22000: 2005 & 9001 : 2008 Certified Organisation

GSTIN : 23AAAJI0016N1ZK

चाँदा तलावली मांगलिया, इन्दौर – 453771 (म.प्र.) **Chanda Talawali, Manglia, INDORE – 453771(M.P.)**

दूरभाष/**Phone :0731-2802554,2802535,2811553,2811162,2811132**

फैक्स/**Fax : 0731-2811559** ई–मेल /**E-mail : isdsm_gmpo@rediffmail.com**

Toll Free No. 18002332535

	निविदा प्रपत्र **निविदा कार्य – श्वेत मक्खन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु ई–निविदा।**	
	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1000/– (अक्षरी– रूपये एक हजार मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 22.01.2019 दोपहर 01:00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
2.	ई–निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 22.01.2019 दोपहर 01:00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3.	ई–निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 22.01.2019 दोपहर 03:00 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर (म.प्र.) 453771
5.	निविदा प्रस्तुतीकरण	अमानत राषि हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट युक्त लिफाफा एवं तकनीकी दस्तावेजो हेतु लिफाफा को एक अन्य बडे सील बंद लिफाफे में रख कर इस लिफाफे को दिनांक 22.01. 2019 दोपहर 01:00 बजे तक संघ कार्यालय में भौतिक तौर पर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है। –दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन–लाईन (Online) ही किया जाना है।
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर (म.प्र.) 453771
7.	अमानत राशि	रू. 50,000 (पचास हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा
8.	संलग्न प्रपत्र	01– परिशिष्ट– (अ), सामान्य नियम एवं शर्त 02– परिशिष्ट– (ब), तकनीकी अर्हताए। (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्त्ता को भरना हैं।) 03– परिशिष्ट– (स), श्वेत मक्खन की प्रतिकिलो प्रतिमाह भंडारण हेतु दर।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.
An ISO 14001:2004, 22000: 2005 & 9001 : 2008 Certified Organisation
GSTIN : 23AAAJI0016N1ZK
चाँदा तलावली मांगलिया, इन्दौर – 453771 (म.प्र.) **Chanda Talawali, Manglia, INDORE – 453771(M.P.)**
दूरभाष**/Phone :0731-2802554,2802535,2811553,2811162,2811132**
फैक्स**/Fax : 0731-2811559** ई–मेल **/E-mail : isdsm_gmpo@rediffmail.com**
Toll Free No. 18002332535

परिशिष्ट – अ
नियम एवं शर्ते

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिकों से निविदा में दिये गये स्पेसिफिकेषन अनुसार श्वेत मक्खन भंडारण हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके संबंध में निविदाकारों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।

1.0 निविदा प्रस्तुतीकरण

1.1 निविदायें निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक एवं समय पर अथवा समय के पूर्व ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना होगी।

1.2 हस्ताक्षरकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह :–

(अ) फर्म का प्रोप्राइटर है अथवा फर्म के प्रोप्राइटर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।

(ब) यदि पार्टनरषिप फर्म है ओर पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं, तो ऐसा किये जाने हेतु उसे अधिकार पत्र अथवा पार्टनरषिप deed में इसका उल्लेख किया गया हो।

1.3 निविदाकार को स्पष्ट रुप से निविदा प्रपत्र में पता, ई–मेल, दूरभाष नं., मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी दी जानी होगी। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को दिया जाना होगा, ताकि परिवर्तित पते पर पत्राचार किया जा सकें।

2.0 अमानत राशि

2.1 निविदाकार को रुपये 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) की अमानत राषि इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना होगा एवं ई–निविदा के साथ इसकी स्कैन कापी अपलोड करनी होगी तथा मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं परिशिष्ट 'ब' में वांछित जानकारी भरकर निविदा खुलने की तिथि एवं समय से दो घण्टे पूर्व इन्दौर दुग्ध संघ कार्यालय इन्दौर में जमा करना

आवश्यक हैं। बिना अमानत राशि निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अमानत राषि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पूर्व जमा अमानत राषि को मान्य नही किया जावेगा। उक्त अमानत राषि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर सम्बंधित निविदाकार के लेखे मे सुरक्षा राषि के साथ किया जावेगा अर्थात सुरक्षा निधि जो रू. 5,00,000/–(रू. पाँच लाख मात्र) के विरूद्व रू. 50,000/–(रू.पचास हजार मात्र) का समायोजन किया जा सकेगा।

2.2 प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्त्ता की जमा अमानत राशि अनुबंध पूर्ण होने पर भुगतान की जावेगी, द्वितीय न्यूनतम दर निविदाकर्त्ता की अमानत राशि प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्त्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत एवं असफल निविदाकर्त्ताओं की अमानत राशि निविदा खोलने की दिनांक से 30 कार्य दिवस में वापस की जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.3 स्वीकृत निविदाकार/फर्म को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के साथ रू. 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

3.0 <u>सुरक्षा राशि :–</u>

3.1 कार्य प्रारम्भ होने के एक माह मे रू. 5,00,000/–(रू. पाँच लाख मात्र) सुरक्षा निधि के रूप मे निविदाकार को जमा कराना होगी। सुरक्षा राषि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

4.0 <u>दर</u>

4.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर में परिवर्तन से परे होना चाहिये।

4.2 निविदा में दर प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जाना होगा कि उक्त दरें समस्त करों सहित है।

5.0 <u>भंडारण (तापक्रम भंडारण तथा निरीक्षण)</u>

5.1 डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर में मक्खन का भंडारण –18^{0}C सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाना होगा। परिसर में मक्खन का भंडारण तथा डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर की पर्याप्त स्वच्छता बरतनी होगी। मक्खन के भंडारण के पूर्व कोल्ड स्टोर को फ्यूमिगेट किया जाना होगा, जिसके निरीक्षण हेतु गुणनियंत्रण को सुचित करने पर एयर फाउन्ट सेम्पल लिये जायेगे।

5.2 मक्खन को स्वच्छ प्लास्टिक के पेलेट्स पर भंडारण किया जाना होगा।

5.3 मक्खन का परिवहन संघ द्वारा किया जायेगा।

5.4 कोल्ड स्टोरेज के मालिको के पास पर्याप्त मात्रा मे हम्माल होने चाहिये, जिससे वह श्वेत मक्खन की लोडिंग/अनलोडिंग समय पर कर सके। यदि हम्माल नही होते है

तो दुग्ध के हम्मालो द्वारा प्रचलित हम्मली दर पर लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य किया जावेगा उक्त लोडिंग/अनलोडिंग मे होने वाले व्यय का भुगतान संघ द्वारा दुग्ध संघ के हम्मालो को किया जावेगा। एवं कोल्ड स्टोरेज को केवल भण्डारित ष्वेत मक्खन का ही भुगतान किया जावेगा, लोडिंग/अनलोडिंग का भुगतान नही किया जावेगा। दुग्ध संघ के हम्मालो को लोडिंग/अनलोडिंग हेतु कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचने मे होने वाले व्यय का भुगतान कोल्ड स्टोरेज के मालिक को करना होगा, यदि भुगतान नही किया जाता है,तो देयक से उक्त राषि का कटौत्रा कर हम्मालो को दिया जावेगा।

5.5 डीपफ्रीज चेंबर का तापक्रम -18^0C या इससे कम निश्चित रुप से होना चाहिये।

5.6 यदि संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मक्खन का तापमान -15^0C या इससे से अधिक पाया जाता है तो इसका पंचनामा बनाया जायेगा एवं रुपये 10,000/– (दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण की दर से दंड निरुपित किया जायेगा तथा मक्खन के तापक्रम को निरीक्षण के सात दिवस के अंदर नियंत्रित नही किया जाता है तो मक्खन का पूरा स्टॉक अन्य शीतगृह में स्थानांतरित कर दिया जायेगा एवं इसके व्यय की प्रतिपूर्ति डीपफ्रीज मालिक के लंबित देयकों से की जायेगी।

5.7 इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज का निरीक्षण कर सकें।

5.8 मक्खन का भंडारण इस प्रकार किया जाना होगा कि मक्खन के बक्सों की पंक्तियों के बीच ठंडी हवा आ जा सके तथा मक्खन का नमूना सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सके।

5.9 इन्दौर दुग्ध संघ के प्रतिनिधि जो कोल्ड स्टोरेज मे निरिक्षण के लिये आते है, तो कोल्ड स्टोरेज के प्रतिनिधि को उनका सहयोग करना आवष्यक है।

5.10 मक्खन की स्टेकिंग की ऊँचाई डीपफ्रीज चेंबर में 11 बक्सों की ऊँचाई से अधिक नही होगा चाहिये ।

5.11 ष्वेत मक्खन का भंडारण FIFO पद्वति अनुसार किया जाना आवश्यक है।

5.12 दुग्ध संघ से प्राप्त ष्वेत मक्खन को प्रत्येक चेम्बर मे कुल भण्डारित मात्रा बैंच नं. ,उत्पादन माह एवं उत्पादन दिंनाक के आधार पर भण्डारण किया जाना आवश्यक है। जिससे पारदर्षिता बनी रहे, एवं उक्त जानकारी संबंधित षाखा (एफ.पी. स्टोर)/गुणनियंत्र षाखा को प्रदाय करे।

5.13 यदि संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ष्वेत मक्खन को चेम्बर मे बैंच नं.,उत्पादन माह एवं उत्पादन दिंनाक के आधार पर भण्डारण नही पाया गया तो प्रति प्रकरण रू.5000/– की पेनल्टी लागायी जावेगी।

5.14 चेम्बर मे इन्दौर दुग्ध संघ के श्वेत मक्खन के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री का भण्डारन नही होना चाहिये, यदि निरीक्षण के समय श्वेत मक्खन के अतिरिक्त अन्य

कोई सामग्री चेम्बर मे पाई जाती है, तो रू. 2000/–(रू. दो हजार) की पेनल्टी लगाई जावेगी। तथा भण्डारण कर्ता को अन्य सामग्री तत्काल चेम्बर से हटानी होगी।

6.0 <u>बीमा</u>

6.1 भण्डारित ष्वेत मक्खन का बीमा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।

6.2 दुग्ध संघ से प्रदाय ष्वेत मक्खन प्राप्त करते समय एवं प्रदाय करते समय आपकी पूर्ण जवाबदारी रहेगी।

7.0 <u>भुगतान</u>

7.1 निविदाकर्ता द्वारा निविदायें अनुमोदित दर से मासिक देयक प्रत्येक माह के अंत में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

7.2 भुगतान प्रत्येक माह की दिंनाक 1,11 एवं 21 के ओपनिंग बैलेंस एवं दिनांक 1 से 10, 11 से 20 तथा 21 से 30/31 तक भण्डारित श्वेत मक्खन की कुल मात्रा पर प्रत्येक 10 दिन की अवधि पर किया जावेगा। उदाहरण के लिये यदि दिनांक 1 से 10 के बीच मे श्वेत मक्खन भेजा जाता है तो वह मात्रा 1 तारिख के ओपनिंग बैलेंस मे जोडा जायेगा एवं 10 दिन का भुगतान किया जावेगा, इसी प्रकार 11 से 20 के बीच मे भजी गई मात्रा 11 तारिख की ओपनिंग मे जोडा जायेगा एवं 10 दिन का भुगतान किया जावेगा, 21 से 30/31 के बीच मे भेजी गई मात्रा 21 तारिख की ओपनिंग मे जोडा जायेगा एवं 10 दिन का भुगतान किया जावेगा। तारिख 11, 21 एवं 1 को आरम्भिक स्टाक समझा जावेगा।

8.0 <u>सामान्य नियम एवं शर्ते :–</u>

8.1 निविदाकार के पास शीतगृह मे मक्खन शीतलीकरण हेतु न्युनतम 200 मी.टन की क्षमता होना आवश्यक है।

8.2 प्रथमतः उक्त अनुबंध अवधि दो वर्ष हेतु रहेगी किंतु आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को अधिकतम एक–एक कर आगामी दो वर्ष तक समान दर एवं षर्त पर कार्यकाल बढाया जा सकेगा।

8.3 अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने पर तीन माह तक भण्डारण अवधि समान दर एवं षर्तो पर बढाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. को होगा तथा भण्डारण कर्ता भण्डारण के लिये बाध्य होगा।

8.4 अपूर्ण पता अथवा पहचान के कारण निरस्त हुई निविदाओं की जवाबदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी। समयावधि में प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।

8.5 निविदा खुल जाने के पश्चात् निविदाकार को निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, एवं अमानत राशि जब्त की जावेगी।

8.6 निविदा में किये गये सुधार/ओवरराइटिंग के स्थान पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिये।

8.7 निविदा के साथ इनकम टैक्स क्लीयरेन्स प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8.8 दरें परिषिष्ट– (स) में ही भरी जायें। सषर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेंगी ।

8.9 एक फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावे।

8.10 एक फर्म द्वारा एक से अधिक अलग अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी ।

8.11 निविदाकार संपूर्ण निविदा का कार्य या आंषिक भाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

8.12 उच्च तापक्रम पर मक्खन के भंडारण के कारण मक्खन की गुणवत्ता, अधिक एफ.एफ. ए., ईस्ट एवं मोल्ड बढ़ने की संपूर्ण जवाबदारी कोल्ड स्टोर मालिक की होगी। इस प्रकार हुई संपूर्ण हानि की वसूली डीपफ्रीज मालिक से मक्खन की तत्कालीन बाजार दर से की जावेगी एवं यह उस पर बंधनकारी होगा।

8.13 निविदा भरते समय निविदाकार को उसकी कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज संबंधी समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।

8.14 भण्डारण के दौरान यदि ष्वेत मक्खन की मात्रा में कमी होती है तो उक्त मात्रा का तत्कालीन दर से कटौत्रा किया जावेगा।

8.15 श्वेत मक्खन का भण्डारण संयंत्र में मक्खन की अतिशेष मात्रा अनुसार किया जावेगा। एवं वापसी संघ की आवश्यकतानुसार की जावेगी।

8.16 विशेष परिस्थितियों में श्वेत मक्खन दुग्ध संघ द्वारा भण्डारण एवं बाजार की आवश्यकता को देखते हुये उपयोग हेतु विशेष सुविधा प्रदान करनी होगी।

9.0 <u>अनुबंध का निरस्तीकरण</u>

9.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को अपने स्वयं के निर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सके जिसके लिये कोल्ड स्टोर मालिक किसी तरह आपत्ति नहीं उठा सकेगा।

10.0 विवाद की स्थिति का निराकरण

10.1 निविदाकार के मक्खन समुचित रुप से ठंडा नहीं कर पाने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार पर बंधनकारी होगा।

10.2 उपरोक्त नियम एवं शर्तो के पालन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति के निराकरण मध्यस्थ (Arbitrator) के द्वारा किया जावेगा तथा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर के अध्यक्ष एकमात्र मध्यस्थ होंगे। जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षो पर बंधनकारी होगा ।

10.3 किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.
An ISO 14001:2004, 22000: 2005 & 9001 : 2008 Certified Organisation
GSTIN : 23AAAJI0016N1ZK
चाँदा तलावली मांगलिया, इन्दौर – 453771 (म.प्र.) **Chanda Talawali, Manglia, INDORE – 453771(M.P.)**
दूरभाष**/Phone :0731-2802554,2802535,2811553,2811162,2811132**
फैक्स**/Fax : 0731-2811559** ई–मेल **/E-mail : isdsm_gmpo@rediffmail.com**
Toll Free No. 18002332535

परिशिष्ट –ब

तकनीकी अर्हताए

01. कोल्ड स्टोर यूनिट का नाम : ————————————————

02. कोल्ड स्टोर यूनिट का पूर्ण पता : ————————————————
————————————————
————————————————

03. कोल्ड स्टोर यूनिट की क्षमता (मी.टन) : ————————————————

04 कोल्ड स्टोर चेम्बर की संख्या : ————————————————
(क्षमता अनुसार)

05. दूरभाष नम्बर : ————————————————

06. ई–मेल आई.डी. : ————————————————

07. पेन नम्बर : ————————————————
(पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

08. प्रोप्रायटर / प्रबंधक / पार्टनर का नाम : ————————————————
(छायाप्रति संलग्न करे)

09. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पद एवं नाम : ————————————————
(छायाप्रति संलग्न करे)

10. पंजीयन प्रमाणपत्र / लायसेंस का विवरण : ————————————————
(पंजीयन प्रमाणपत्र / लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें)

11. जी.एस.टी. नंबर : ————————————————
(छायाप्रति संलग्न करे)

12 FSSAI लायसेंस / रजिस्ट्रेषन नम्बर : ————————————————
(छायाप्रति संलग्न करे)

13 इनकम टैक्स क्लीयरेन्स प्रमाणपत्र : ————————————————
(छायाप्रति संलग्न करे)

12. क्या आपकी कोल्ड स्टोर यूनिट या सहभागी फर्म को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित /एमपीसीडीएफ या अन्य सहकारी दुग्ध संघ /म.प्र.शासन या भारत शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है ? हॉ /नही

यदि हॉ तो कारण देवें ।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोल्ड स्टोर यूनिट

कोल्ड स्टोर की मोहर

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.

An ISO 14001:2004, 22000: 2005 & 9001 : 2008 Certified Organisation

GSTIN : 23AAAJI0016N1ZK

चाँदा तलावली मांगलिया, इन्दौर – 453771 (म.प्र.) Chanda Talawali, Manglia, INDORE – 453771(M.P.)

दूरभाष/Phone :0731-2802554,2802535,2811553,2811162,2811132

फैक्स/Fax : 0731-2811559 ई–मेल /E-mail : isdsm_gmpo@rediffmail.com

Toll Free No. 18002332535

परिशिष्ट –स

दर प्रपत्र

क्र.	विवरण	दर (प्रति किलो/प्रति माह) (अंकों में)	(शब्दों में)
01	25 किलो./20 किलो पैंकिग में श्वेत मक्खन का शीतलीकरण एवं भण्डारण		
02	लोडिंग/ अनलोडिंग		
03	कर (Tax) यदि कोई हो तो		

अमानत राशि का विवरण बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक ————————दिनांक————————————

बैंक का नाम ——————————————————————————

राशि (अंकों में) रुपये ——————————————————————————————————

राशि (शब्दों में) रुपये ——————————————————————————————————

हमारे द्वारा निविदा के नियम एवं शर्ते पूरी तरह से पढ़ ली गई है । एवं तदनुसार दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोल्ड स्टोर यूनिट

कोल्ड स्टोर की मोहर